

खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण

जयपुर

दिनांक 30/8/2012


स्वा.सु.अ.अधि/विधि

सूचना

प्रायः यह देखने में आया है कि खाद्य अनुज्ञप्ति चाहने वाले आवेदक ऑन लाईन फीस का भुगतान करते समय खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण के मद में गलत रूप से फीस जमा करा देते हैं तथा बाद में प्रतिदाय हेतु आवेदन करते हैं जिससे अधिकरण का कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होता है।

खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण का खाद्य अनुज्ञप्ति जारी करने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अतः खाद्य अनुज्ञप्ति हेतु ऑन लाईन फीस सही मद में जमा करना सुनिश्चित करलें। फीस खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण के मद में जमा कराये जाने पर इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।


रजिस्ट्रार